



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शनिवार, 12 दिसम्बर, 2020

अग्रहायण 21, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-1

संख्या 1697/9-1-2020-40 टी0ए0-20

लखनऊ, 12 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ0-385

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3 की उपधारा (2) के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या 698 मुअरिखा, दिनांक 2 अगस्त, 1882 और इस निमित्त जारी की गयी अन्य पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके, राज्यपाल नीचे अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को नगर पंचायत मानिकपुर, जिला प्रतापगढ़ के संक्रमणशील क्षेत्रों में सम्मिलित करने के लिए जिस अधिसूचना को जारी करने के लिए प्रस्ताव करती हैं, उसका निम्नलिखित प्रारूप, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार समस्त सम्बन्धित की सूचना के लिए और उसके संबंध में आपत्तियाँ और सुझाव आमन्त्रित करने की दृष्टि से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

2. प्रस्तावित अधिसूचना के संबंध में, आपत्तियाँ और सुझाव, यदि कोई हों, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-1, बापू भवन, लखनऊ को सम्बोधित करके लिखित रूप में प्रेषित किये जाने चाहिए। केवल उन्ही आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर प्राप्त होंगे।

अधिसूचना का प्रारूप

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3 की उपधारा (2) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या 698 मुअरिखा, दिनांक 2 अगस्त, 1882 और इस निमित्त जारी की गयी अन्य पूर्ववर्ती

अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल संविधान के भाग नौ-‘क’ के प्रयोजनार्थ नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को नगर पंचायत मानिकपुर, जिला प्रतापगढ़ के संक्रमणशील क्षेत्रों में सम्मिलित करती हैं:-

### अनुसूची

नगर पंचायत मानिकपुर, जिला प्रतापगढ़ के संक्रमणशील क्षेत्र में सम्मिलित किया जाने वाला क्षेत्र :-

क्र०सं०	ग्राम का नाम	दिशा	गाटों का विवरण
1	2	3	4
1	करीम नगर कलां	पूर्व	01 से 154 तक,
2	डंडौली (आंशिक)	पूर्व-दक्षिण	01 से 111 तक, 208, 209, 211
3	रेताही	पश्चिम	01 से 145 तक।
4	जोतदम्न	उत्तर-पश्चिम	01 से 364 तक।
5	बजहाभीट	उत्तर-पूर्व	01 से 559 तक।
6	चकबाकी	पश्चिम	01 से 117 तक,
7	लाट तारा (आंशिक)	उत्तर-पूर्व	785 से 800 तक, 801 से 1148 तक।
8	मिरगड़वा	उत्तर	01 से 658 तक,
9	चौकापार (आंशिक)	दक्षिण	01 से 100 तक, 101 से 259 तक, 272 से 288 तक, 1036 से 1057 तक, 1118 से 1200 तक, 1201 से 1297 तक, 1326 से 1335 तक।

आज्ञा से,  
दीपक कुमार,  
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1697/IX-1-2020-40T.A.-20, dated December 12, 2020 :

No. 1697/IX-1-2020-40T.A.-20

*Dated Lucknow, December 12, 2020*

THE following draft notification which the Governor proposes to issue in exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution of India read with sub-section (2) of section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. 2 of 1916) and in partial modification of notification no. 698 Muarrikha, dated August 2, 1882 and other previous notifications issued in this behalf including the areas specified in the Schedule below in the transitional area of Nagar Panchayat Manikpur in district Pratapgarh, is hereby published for the information of all concerned and with a view to inviting objections and suggestions in respect thereof as required under sub section (1) of section 4 of the said Act.

2. Objections or suggestions, if any, with respect to the proposed notification should be sent in writing addressed to the Pramukh Sachiv, Uttar Pradesh Shasan, Nagar Vikas Anubhag-1, Babu Bhawan, Lucknow. Only such objections and suggestions shall be taken into consideration as are received within fifteen days from the date of publication of this notification in the *Gazette*.

## DRAFT NOTIFICATION

IN exercise of the powers under clause- (2) of Article 243-Q of the Constitution read with sub-section (2) of section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. 2 of 1916), and in partial modification of notification no. 698 Muarrikha dated August 2, 1882 and other previous notifications issued in this behalf, the Governor is pleased to include the areas specified in the Schedule below in the transitional area of Nagar Panchayat Manikpur in district Pratapgarh for the purposes of Part IX-A of the Constitution.

## SCHEDULE

Area being included in the transitional area of Nagar Panchayat Manikpur in district Pratapgarh

Sl. no.	Name of Villages	Direction	Detail of Gatas
1	2	3	4
1	Kareem Nagar Kala	East	01 to 154 ,
2	Dandauli (Partial)	East-South	01 to 111, 208, 209, 211
3	Retahi	West	01 to 145,
4	Jotdamman	North-West	01 to 364,
5	Bajha Bheet	North-East	01 to 559,
6	Chakbaaki	West	01 to 117,
7	Laat Tara (Partial)	North-East	785 to 800, 801 to 1148,
8	Mirgadwa	North	01 to 658,
9	Chaukapar (Partial)	South	01 to 100, 101 to 259, 272 to 288, 1036 to 1057, 1118 to 1200, 1201 to 1297, 1326 to 1335,

By order,  
DEEPAK KUMAR,  
*Pramukh Sachiv.*